UPM0010021242024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी– (सुरेन्द्र कुमार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02401**

दाण्डिक निगरानी संख्या–75/2024

अनीस अहमद उम्र लगभग 37 वर्ष, पुत्र नसीम अहमद,
निवासी–मौहल्ला बरवालान, निकट मनोकामना मंदिर, वैलकम शादी हॉल के सामने, मुगलपुरा, थाना मुगलपुरा, जिला मुरादाबाद।

..... **निगरानीकर्ता।**

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सरकरा द्वारा डी0 जी0 सी0(क्रिमिनल), मुरादाबाद ।
2. विवेक कुमार मेहरा पुत्र आनन्द स्वरूप,
3. योगेश कुमार पुत्र आनन्द स्वरूप,
4. कार्तिक पुत्र योगेश,

निवासीगण–पीती नगरी, पॉवर हाऊस के पास, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद।

..... **विपक्षीगण।**

निर्णय

(1)– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी अन्तर्गत धारा–397 दण्ड प्रक्रिया संहिता, निगरानीकर्ता ने विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, मुरादाबाद/दाण्डिक क्षेत्राधिकार प्रयोग करते हुए, द्वारा परिवाद संख्या–233/2024, अनीस अहमद बनाम विवेक कुमार मेहरा आदि में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.02.2024 के विरुद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के द्वारा निगरानीकर्ता का उक्त वाद अन्तर्गत धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता में निरस्त किया गया है।

(2)– संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि,"प्रार्थी मौहल्ला बरवालान, निकट मनोकामना मन्दिर, वेलकम शादी हाल के सामने, थाना मुगलपुरा, जिला मुरादाबाद का निवासी है। प्रार्थी ए–ए हैण्डीक्राफ्ट इण्डिया फर्म के नाम से व्यापार करता है। प्रार्थी के विवेक कुमार मेहरा पुत्र आनन्द स्वरूप निवासी पीतल नगरी, पॉवर हाऊस के पास, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद से ताल्लुकात व सम्बन्ध अच्छे थे और विवेक कुमार मेहरा का प्रार्थी से कारोवारी सम्बन्ध है। प्रार्थी विवेक कुमार मेहरा की फर्म तान्या इण्टरनेशनल, पीतल नगरी, पॉवर हाऊस के पास, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद को पीतल एवं गारमेन्टस आदि का आर्डर देता था और माल बनाकर विवेक कुमार मेहरा, प्रार्थी को सप्लाई करता था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.03.2019 को 2,00,000/– रूपये, विवेक कुमार मेहरा के यस बैंक के खाते में जमा किये एवं ट्रांसफर किये थे एवं भिन्न–भिन्न दिनांको में व नकद कुल–33,80,000/ रूपये विवेक कुमार मेहरा व विवेक

कुमार मेहरा की फर्म को दिया गया। उपरोक्त रूपये विवेक कुमार मेहरा के पास पहुँचने के बाद दिये गये समय अवधि के अनुसार माल तैयार नहीं कराया गया और आजकल–आजकल करके काफी समय बीत गया, परन्तु विवेक कुमार मेहरा को दिये गये रूपयों की बाबत माल न देने पर प्रार्थी ने अपने रूपयो का तकादा विवेक कुमार मेहरा से किया तो विवेक कुमार मेहरा ने टुकडों में लगभग 2,00,000/– रूपये दिये और बाकी रूपये देने के लिए आना कानी करता रहा है। उपरोक्त दिये गये रूपयो की बाबत बैंक स्टेट मेन्ट रिपोर्ट प्रार्थी के पास सुरक्षित है। प्रार्थी, विवेक कुमार मेहरा की फर्म उपरोक्त पर जाता है तो विवेक कुमार मेहरा अपनी फर्म से कुछ भी कहने को मना कर देता है। प्रार्थी को उपरोक्त विवेक कुमार मेहरा ने 6,00,000/–रूपये के चार चैक दिये जो, उपरोक्त के खाते में रकम न होने के कारण वांउस हो गये, जिसका प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में धारा 138 एन०आई० एक्ट का मुकदमा योदित कर रखा है, परन्तु उपरोक्त विवेक कुमार ने अन्य बची शेष रकम 27,80,000/– रूपये अभी तक अदा नहीं की है और आज कल आज कल करके टाल रहा है और मुकदमा वापिस लेने के लिए दबाव बना रहा है। प्रार्थी दिनांक 15.01.2024 को समय 3:00 बजे दिन अपने दो मित्रों के साथ उपरोक्त विवेक कुमार मेहरा की फर्म पर उपरोक्त रूपयों की बाबत तकादा करने गया तो उपरोक्त विवेक कुमार मेहरा व भाई योगेश कुमार, पुत्रगण आनन्द स्वरूप, व भतीजा कार्तिक, पुत्र योगेश, निवासीगण पीतल बस्ती पॉवर हाउस, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद प्रार्थी को गन्दी गन्दी गालियां देने लगे व जान से मारने की धमकी देने लगे और धमकाते हुए कहने लगे कि तू हमारे खिलाफ बहुत शिकायते कर रहा है आज तुझे जान से ही मारेंगे। प्रार्थी उपरोक्त लोगों की धमकियों से डर गया और घर वापिस आने लगा तो उपरोक्त लोग समय लगभग शाम 4:00 बजे प्रार्थी के पीछे–पीछे, मौहल्ला वरवलान में आ गये और उपरोक्त लोगो व अन्य साथियों ने प्रार्थी को घेर लिया और प्रार्थी को अपने साथ लाये नाजायज तमंचों से धमकाने लगे कि दी गई तहरीर वापिस ले ले नहीं तो जान से मारा जायेगा। प्रार्थी ने जब शोर मचाया तो मौहल्ले के ताहिर पुत्र लियाकत हुसैन व गुलनबाज पुत्र मौ० मुमताज हुसैन व अन्य लोग आ गये। उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी को वामुश्किल बचाया। उपरोक्त लोग जान से मारने व मुकदमा वापिस लेने व किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देते हुए भाग गये। उपरोक्त लोग दबंग, हेकड़ व बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं जो प्रार्थी के साथ कभी भी कोई अनहोनी घटना कारित कर सकते हैं। उपरोक्त सम्बन्ध में उपरोक्त विवेक कुमार मेहरा ने धोखाधड़ी सहित कूटरचित सहित एवं जालसाजी कर प्रार्थी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उपरोक्त सम्बन्ध में उपरोक्त लोगो के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा थाना मुगलपुरा में तहरीर लिखवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। थाना हाजा की पुलिस ने प्रार्थी की तहरीर लेकर रख ली और कहा कि आपका आपसी लेनदेन का मामला है आप आपस में बैठकर निपटा लो हम आपके इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं करेगें। प्रार्थी ने उपरोक्त मामले में प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुरादाबाद एवं उच्चाधिकारियों को प्रेषित किये गये जिनकी प्रतियां एवं डाक रसीद संलग्न प्रार्थना पत्र हैं, लेकिन कहीं से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि मुल्जिमान प्रार्थी को खुलेआम तरह तरह की धमका रहे हैं।"

(3)– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को सुने जाने के उपरान्त वाद को अन्तर्गत धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता में निरस्त किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर

निगरानीकर्ता द्वारा यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गई है।

(4)– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि प्रार्थी के विरूद्ध विद्वान अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 23.02.2024 कतई गलत, खिलाफ कानून एवं त्रुटिपूर्ण है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश पारित करते वक्त अपने मस्तिष्क व विवेक का प्रयोग न करके कानूनी त्रुटि की है। रिविजनकर्ता द्वारा उपरोक्त विविध वाद सं0–233/2024, अनीस अहमद बनाम विवेक कुमार मेहरा आदि, धारा–156 (3) सी0 आर०पी०सी०, थाना मुगलपुरा विद्वान अवर न्यायालय में योजित की थी, जिसमें विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विविध वाद दर्ज करने के उपरान्त पुलिस आख्या तलब की गई और पुलिस आख्या में रिविजनकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर रूपये लेन देन सम्बन्धी कथन सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, परन्तु विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रस्तुत विविध वाद एवं उसके साथ साक्ष्य में दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन न करके कानूनी त्रुटि की है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.02.2024 में उपरोक्त मामले में विपक्षीगणों को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है और रिविजनकर्ता का मुकदमा एक परिवाद समझते हुए रिविजनकर्ता का विविध वाद परिवाद समझते हुए धारा 203 द०प्र०सं० में खारिज कर दिया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा ऐसा करके गम्भीर त्रुटि की है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 मनमाने ढंग से एवं विधि विरूद्ध तथा अपने मस्तिष्क का बिना प्रयोग किये पारित किया गया है और विद्वान अवर न्यायालय ने अपने द्वारा आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली पर पूर्ण संज्ञान नहीं लिया है कि पत्रावली किस लाभ को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में दाखिल की गई है, इस ओर भी अपना कोई ध्यान आकृषित न करके प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.02.2024 पारित कर कानूनी गलती फरमाई है। विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भी भलीभांति अवलोकन नहीं किया है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.02.2024 पारित कर दिया गया है जो पत्रावली पर स्थापित रहने योग्य नहीं है एवं अपास्त होने योग्य है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि–विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 08.04.2025 को निरस्त फरमाकर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करने की याचना की गयी है।

(5)– पत्रावली में पक्षकार लंबे समय से निरंतर उपस्थित नहीं हो रहे थे, इसलिए न्यायालय द्वारा अन्य दिनांकों को अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है और पत्रावली को आज फिर से सुनवाई के लिए रखा गया था, परंतु उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। चूंकि निगरानी को अदम पैरवी में खारिज नहीं किया जा सकता। अतः गुणदोष पर निगरानी का निस्ताकरण किया जाना न्यायोचित है।

(6)– मैंने विपक्षी सं0–1 की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) की बहस को सुना एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सम्यक रूपेण अवलोकन किया।

(7)– विपक्षी संख्या–1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत

आदेश दिनांकित 23.02.2024 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

(8)– विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया था कि, वह ए–ए–हैण्डीक्राफ्ट इण्डिया फर्म के नाम से व्यापार करता है। निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 26.03.2019 को 2,00,000/–रूपये, विवेक कुमार मेहरा के यस बैंक के खाते में जमा किये एवं ट्रांसफर किये थे एवं भिन्न–भिन्न दिनांकों में नकद कुल 33,80,000/–रूपये विवेक कुमार मेहरा व विवेक कुमार मेहरा की फर्म को दिया गया, जिसमें विपक्षी विवेक कुमार मेहरा द्वारा 6,00,000/–रूपये के चार चैक दिये जाने तथा चैक वाउंस होने पर धारा–138 एन 0 आई 0 एक्ट का मुकदमा योजित किये जाने का कथन किया गया है।निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण के विरुद्ध धारा–138 एन.आई. एक्ट का मुकदमा किया जाना स्वीकार किया गया है तथा शेष रूपये प्राप्त न होने का कथन किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट दर्शित होता है कि उभय पक्ष के मध्य मामला रूपयों के लेन देन का है जो कि सिविल प्रकृति की श्रेणी में आता है जिसे निगरानीकर्ता द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के मामले में लाने का प्रयास किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मौ0 इब्राहिम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य (2009) 8 एस 0 सी0 सी0 751** व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **श्रीमती रूखसाना प्रवीन लॉरी बनाम स्टेट ऑफ यू0 पी0 2018 ए 0 सी0 जे0 1899** में करते हुए यह निर्धारित किया है कि–"वर्तमान में यह प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि सिविल प्रकृित के मामलों को आपराधिक मामलों में परिवर्तित किया जा रहा है। इसका उद्देश अभियुक्त पर दबाव बनाने अथवा अभियुक्त से शत्रुता निभाने के लिए हो सकता है।"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक अभियोजन उत्पीड़न करने के एक हथियार के रूप में अथवा व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए अथवा अभियुक्त पर विद्वेषपूर्ण आशय से दबाव बनाने के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए।"

उपरोक्त समस्त विश्लेषण तथा माननीय न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में विद्वान न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, मुरादाबाद/दाण्डिक क्षेत्राधिकार प्रयोग करते हुए, मुरादाबाद द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 23.02.2024 के गंभीरतापूर्वक अवलोकन से पुनरीक्षण न्यायालय की राय में आलोच्य आदेश दिनांकित 23.02.2024 विधिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.02.2024 पुष्ट किया जाकर, प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता अनीस अहमद की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–75/2024 निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत

आदेश दिनांकित 23.02.2024 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि, इस आदेश की एक प्रति, अवर न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ, नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दाण्डिक निगरानी संख्या–75/2024 की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 04.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 04.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।